सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट-दिनांक 11.08.2026

साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग का पर्दाफाश।

फर्जी कम्पनी 'एग्रो मार्ट' की आड़ में किसानों और व्यापारियों से ऑनलाइन ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, सरगना समेत 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

कब्जे से धोखाधड़ी करने में प्रयुक्त इलैक्ट्रानिक उपकरण, दस्तावेज, सिमकार्ड, फर्म की मोहर एवं अनाज के सैम्पल पैकेट व XUV 7OO कार बरामद।

पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे CyVazra अभियान के तहत, अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक अपराध इटावा श्री सन्तोष सिंह के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अवनीश कुमार सिंह के नेतृत्व में साइबर सेल इटावा एवं थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गयी बड़ी कार्यवाही।

घटना /गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में **CyVazra** अभियान **(ATM WITHDRAWAL, CHEQUE FRAUD WITHDRAWAL, MULE ACCOUNT, SUSPECT MOBILE)** के तहत अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं साइबर फ्रॉड करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 11.08.2026 को जनपदीय साइबर सैल व थाना सिविल लाइन की संयुक्त टीम द्वारा प्रतिबिम्ब पोर्टल से प्राप्त शिकायतों जिनमें जम्मू कश्मीर, ओडिशा, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख हैं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी तो ज्ञात हुआ कि अधिकांश शिकायतकर्ता सरसों, मक्का तथा अन्य प्रकार के अनाजों के व्यापारी हैं जिन्हें व्यापारिक आवश्यकता के अनुसार अनाज की उचित दर पर खरीद करनी होती है। इसके लिये उनके द्वारा INDIA MART पर ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया था।

शिकायतकर्ताओं से जानकारी करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनके मोबाइल नम्बरों को INDIA MART से निकालकर उन नम्बरों पर कॉल करके उन्हें उचित दाम पर अनाज उपलब्ध कराने हेतु खरीद-बिक्री की डील तय की जाती थी और प्रतीक सक्सेना द्वारा संगठित गिरोह बनाकर कूटरचित दस्तावेजों एवं भ्रामक पहचान का प्रयोग कर 05 फर्जी कंपनियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से व्यापारियों से संपर्क किया जाता था तथा गिरोह के सदस्यों द्वारा स्वयं कर्मचारी एवं प्रोपराइटर बनकर विभिन्न बैंकों में लगभग 20 चालू खाते खुलवाकर आपूर्ति के नाम पर 50-60 प्रतिशत रूपये एडवान्स के रूप में गिरोह से जुड़े व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा कराया जाता था तथा धनराशि को चेक/एटीएम के माध्यम से निकालकर व्यापारियों से पुनः अतिरिक्त धनराशि की माँग की जाती थी। उक्त संदिग्ध खातों में अब तक करीब 07 करोड़ 10 लाख रुपये का लेन-देन होना पाया गया है।

पुलिस से शिकायत करने पर पीड़ित व्यापारियों को जान/माल की हानि पहुँचाने तथा मारकर शव गायब कर देने की धमकियाँ दी जाती थी जिसके कारण व्यापारी भयभीत होकर पुलिस के समक्ष नहीं जाते थे केवल NCRP पोर्टल पर ही

शिकायत कर देते थे इस प्रकार एनसीआरपी पोर्टल पर इस गिरोह के विरुद्ध करीब 25 शिकायतें दर्ज हैं जो लगभग 45 लाख की ठगी से सम्बन्धित हैं।

सूचना पर तत्काल थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 142/2026 धारा 318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2)/351(3)/61(2) बीएनएस व 66(सी)/66(डी) आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर लुहन्ना चौराहा से ग्वालियर तिराहे की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित दुकान के पास से घेराबंदी कर 04 शातिर अभियुक्तों गिरफ्तार किया गया।

नोट:-अभियुक्तों के कब्जे और उनके ऑफिस से ठगी में प्रयुक्त भारी मात्रा में साक्ष्य एवं सामग्रियां बरामद की गई हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. प्रतीक सक्सेना पुत्र प्रदीप कुमार निवासी 282 हरिपुरम कालोनी सराय दयानत थाना सिविल लाइन जनपद इटावा **उम्र 34 वर्ष।**
2. विकास पुत्र दिवाकर दीक्षित, निवासी नुमाइश पाण्डाल थाना सिविल लाइन जनपद इटावा **उम्र 28 वर्ष।**
3. आकाश बाथम पुत्र ओम बाबू बाथम निवासी रामनगर थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा **उम्र 22 वर्ष**
4. प्रवेश कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी कजगवा थाना इकदिल जनपद इटावा **उम्र 29 वर्ष।**

आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त प्रतीक सक्सेना पुत्र प्रदीप कुमार

1. मु0अ0सं0124/2026 धारा318(4)/336(3)/340/352/351 (2)बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद इटावा
2. मु0अ0सं0 125/2026 धारा 318(4) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद इटावा
3. मु0अ0सं0 132/2026 धारा 318(4) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद इटावा
4. मु0अ0सं0 133/2026 धारा 318(4) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद इटावा
5. मु0अ0सं0 142/2026 धारा 318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2)/351(3)/61(2) बीएनएस व 66(सी)/66(डी) आईटी एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

नोट- अभियुक्तों के अन्य राज्यों से आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 142/2026 धारा 318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2)/351(3)/61(2) बीएनएस व 66(सी)/66(डी) आईटी एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

बरामदगी:-

1. डेस्कटॉप / कंप्यूटर सिस्टम: कुल 05 (मॉनिटर व सीपीयू सहित)
2. लैपटॉप 01 (HP ब्रांड)
3. 02 प्रिंटर
4. 13 एंड्रॉइड मोबाइल फोन
5. 05 सीपीयू (CPU): (04 फिंगरप्रिंट सेंसर युक्त व 01 HP ब्रांड)
6. 02 की-बोर्ड (Keyboard):
7. 02 माउस (Mouse):

8. 02 कंप्यूटर चार्जर
9. 20 वाउचर
10. विजिटिंग कार्ड: करीब 2000
11. 09 डायरी:
12. मक्का (Corn): 02 थैले
13. सरसों (काली/पीली): 02 थैले
14. पलिया / दलिया: 02 थैले
15. कैलकुलेटर: 01 अदद
16. मोहर (Stamp): 01 अदद (Avon Agro Tech)
17. फाइल कवर: 01 ('India Mart Pay Listed व्यापारियों की लिस्ट' अंकित)
18. अन्य कार्यालय की सामग्री: व्हाइट बोर्ड तथा अटेंडेंस बायोमेट्रिक मशीन
19. विभिन्न बैंकों के डेबिट कार्ड (HDFC व बंधन बैंक), पासबुक, चेकबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड तथा कूटरचित पहचान दस्तावेज।
20. 06 सिम कार्ड एयरटेल कंपनी के (4 खाली लिफाफे सहित)
21. XUV 7OO कार संख्या UP75AS6302) कार (ठगी कर अर्जित की गयी **(सीज अन्तर्गत धारा 207 एमवीएक्ट)**

पुलिस टीम- प्रथम टीम:- उ0नि0 लोकेश कुमार, हे0का0 विजय, हे0का0 मनीष, का0 पंकज, का0 बृजेश गोला टीम

द्वितीय टीम:- निरी0 कण्व कुमार मिश्रा प्रभारी थाना सिविल लाइन मय टीम।

नोट- उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 25,000/- रु0 के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।